झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–246 वर्ष 2017

परमेश्वर पाण्डेय .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची।

3. क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर छोटानागपुर डिवीजन–हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर एवं थाना–गिरिडीह, जिला–गिरिडीह।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री चंद्र प्रभा, एस0सी0–I

श्री अरबिंद कुमार, एस0सी0–I का ए0सी0

06/08.05.2019 उत्तरदाताओं को पहले दिनांक 31.01.2019 को दिए गए अवसर के बावजूद प्रति शपथ पत्र दायर नहीं किया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता को गिरिडीह जिले के मध्य विद्यालय घोरंजी देवरी–I

में शिक्षक के रूप में नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया था। याचिकाकर्त्ता को दिनांक 10.12.1960 को नियुक्त किया गया था और वे 31.01.2003 को सेवानिवृत हुए थे। याचिकाकर्त्ता का दावा है कि वह एक प्रशिक्षित शिक्षक (इंटरमीडिएट) के रूप में काम कर रहा था और उसे वर्ष 1975 के प्रभावसे आई0ए0 प्रशिक्षित शिक्षक (इंटरमीडिएट) का वेतनमान प्रदान किया गया था। उन्हें समयबद्ध पदोन्नति भी दी गई। उनका दावा है कि चूंकि उन्होनें वर्ष 1983 में स्नातक पूरा कर लिया था, इसलिए उन्हें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जाना चाहिए था। उन्होनें कहा कि उन्होनें कई अभ्यावेदन दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3. याचिकाकर्त्ता के वकील ने कहा कि यह पर्याप्त होगा यदि याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन को इस स्तर पर निपटाने और याचिकाकर्त्ता के दावे का फैसला करने के लिए उत्तरदाताओं को एक निर्देश दिया जाए।

4. प्रतिवादी को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. पार्टियों की प्रार्थना और प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, मैं याचिकाकर्त्ता को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करके रखने का निर्देश देता हूँ। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उत्तरदाता कानून, नियमों, विनियमों और परिपत्रों के अनुसार याचिकाकर्त्ता के दावे के संबंध में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे। यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्त्ता कोई लाभ पाने का हकदार है, तो उसे याचिकाकर्त्ता को दिया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्त्ता के दावे को खारिज कर दिया जाता है, तो याचिकाकर्त्ता को एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश भी

संप्रेषित किया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया एक नए अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/उत्पादन की तारीख से 16 सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

6. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट एप्लिकेशन को इस मामले के गुणागुण में प्रवेश किए बिना निपटाया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)